(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा स्चना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Tehri Garhwal

No-- 487/xxVI-ACCII (2021-2022)

Dated-15-7-10 22

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.255 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar (name of user agency) for Construction of Diuali to Gujrara Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Duali and Gujrara village (s) in Narendra Nagar tehsils.

#### It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the (a) FRA has been carried out for the entire 3.255 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (IX) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups (b)

and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

> Signature (Full name and office property Collector) टिहरी गढ़वाल

#### FORM-II

(for projects other than linear projects)

No.487/XXVI-ALC-B (2021-22) Sfice of the District Collector

Dated-13/7/2012

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF). Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.255 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar (name of user agency for Construction of Diuali To Gujrara Motor Road purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Dinali & Gujrara village (s) in Narendra Nagar tehsils.

#### It is further certified that:

(III)

Hamming and

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.255 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ... annexure ....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA:
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all (c) formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the garm sabha of Diuali & Gujrara villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....

the discussion and decisions on such proposals had taken (d) pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the (e) Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where (f) applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the

FRA Incl: As above.

Signature (Full name and of the sequence of the collector)

टिहरी गढ़वाल

## Encl.-01

It is further certified that - Minutes of meeting of Constructi to Gujrara Motor Road, Length 4.500Km. regarding FRA is a

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.255 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Disivion Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII)	
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA hav been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	motor road is attached.  Yes copy of records attached as there are no habitant belonging to scheduled tribe and other traditional Fores Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य टिहरी गुढ़वालू

दयाल सिंह सवत बदरब जिला पचायत 43. मैतंण (नरेन्द्र नगर) जिला-टिहरी गढवाल समाज कर्याण अधिकारी जिल्हे हरी। जिल्हासाण अधिकारी टिहरी गढ़वाल प्रभागीय वस्तिकारी प्रभागीय वनाधिकारी टिहर्सर-प्रभाग पुनि-की-रेती

(Full name and Executive Seal of the District collector)

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;	
Dated:	
	Deputy Commissioner-cum Chairman

परियोजना का नाम-

जनपव टिहरी गढ़वाल के विधान समा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत विऊली – गुजराड़ा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु वन मृमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

Uafer.

दिनांक- 93/04/22

अनुस्थित जनजाति और परम्परागत वनगासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विद्यान समा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य गोजना के अन्तर्गत विकली — गुजराड़ा मोअर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 मोटर में निर्माण कार्य हेतु (3.255 है) आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.255 है0 वन भूमि ) का प्रस्ताव लोक निर्माण विमाग, नरेन्द्रनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समित, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 23 412 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः –

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक युक्ता मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की गयी। बैठक में माननीय सदस्मों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- देवेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर

2-श्री एम0एस0 बिष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग

3-श्री राहुल प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर

4 श्री अनिल भट्ट बी०डी०सी० क्षेत्र गंगलसी

-सदस्य

-सदस्य / सचिव

-सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान समा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली — गुजराडा मोअर मार्ग लम्बाई 4.500 किं0मीं0 मोटर में निर्माण कार्य हेतु 3.255 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर (मुनिकीरेती) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य, परियोजना के निर्माण हेतु 1.225 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिल्लाधिकारी अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति तहसील-नरेनब्रनगर,जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जि**भा**धिकारी /अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— गरेनद्भगर,जनपद टिहरी गढ़वाल।

## कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रमगर।

आज दिनांक 23/04/22 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली — गुजराडा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कार्य हेतु 3.255 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:—

कम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र सिंह नेंगी	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	W
2	श्री एम०एस० बिष्ट	उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती	उर्व प्रमानीय वनाधिकारी (नरेन्द्रनगर) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
3	श्री राहुल प्रताप सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	Rahml
4	श्री अनिल भट्ट	क्षेत्र पंचायत सदस्य दिउली	क्षेत्र स्वायत सदस् कोडारना वि० ख०- नरेन्द्रनग जिला टिहरी गढ़वा

परियोजना का नाम-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान रामा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत आगराखाल-कुसरैला गोटर गार्ग का विफली से गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली—गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु ( 3.255 हें0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हें0 सिविल सोयम भूमि हें0, वन पंचायत भूमि 0.00 हें0) अर्थात कुल 3.255 हें0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दिफली द्वारा दिनांक 23.04.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्राम पंचायत दिऊली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

गाम पंचारत्य ग्राम प्रधान/संस्थेय मुहर सहित्रा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर।


विषय-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली-गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माणस कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय

हम समस्त ग्रामवासी इस बात से सहमत है कि दिऊली—गुजराडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा जों सर्वे कार्य किया गया है, उस पर मार्ग निर्माण हेतु हम अपनी नाप भूमि राजकीय दरों पर विभाग को

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग का निर्माण जनहित मे यथा शीघ्र किया



# प्रारुप-30.4

# दिनांक 🎼 कि की उपस्थिति ग्राम पंचायत— दिऊली / खर्की

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	1 5.	2 /
1	विश्क्तिक विक्	Vis. bloods
1	गिरी विराधनान	Vis. Mondy:
2	रामन्यन्द्र सिंह	Mus
3	rogary chostst	Daylayet
4	वुजेशकाडिया	625 Kand
5	मातवर विष्ट	matrar supl
6	जगत सिंह	Fohardori
7	च्यार सिंह	Poir S
		1
8	नरशा पिष्ठ	नरेया खिड
9	र्गिर पिंह	२गवीर गिंह
10	स्वनवीर विट भ०डारी	(E)
		0

जिला पंचायत सदस्य

देयाल सिंह संवत बदार १ पचारत 43 १०१ द नगरी जिल्लामध्य हवाल क्षेत्र पंचायत सदस्य

क्षेत्र प्रमित सदस्य कोडारना वि० ख०-नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल




# अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिउली गुजराडा मोटर मार्ग के समरेखण के आस—पास हम बन गुर्जर न तो पहले कभी निवास करते थे और न ही वर्तमान समय में वहां पर हमारा कोई वन गुर्जर परिवार निवास करता है, दिउली गुजराडा मोटर मार्ग बनने से हम वन गुर्जरों का किसी भी प्रकार का हक प्रभावित नहीं होता है हमें उक्त मोटर मार्ग निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हम सभी गुर्जर परिवार उक्त मोटर मार्ग को जनहित में शीघ्र बनाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

ज्ञाम -क्राम्बर रफी -क्राह्मी ह्म र्या अली.



(4) गुलाम रखल

() में न वीबी



इमजानी — है।

दयाल सिंह रावत स0जि0पंचायत / १३०जि८नियोजन १००० 43 मॅतण वार्ड, नरेन्द्रनगर (١८०५०)

> Soan 8011111 23104122

# यस्ताव संत्यायतिलिप

दिनांक 16-12-2021 को भ्राम पंचायत रवकी की रवली व्यक्त के प्रस्ताव संस्थां -16 की स्रस्य प्रतिरोधिय !प्रस्ताव संस्था -16 लोक निर्माण विकाग !- व्यक्त भे यह
प्रस्ताव संस्था -16 लोक निर्माण विकाग !- व्यक्त भे यह
प्रस्ताव संस्ता ग्रेंचा है कि वर्ष 2005 भे स्वीकृत विभू ले
गुजरां भीर मार्ग का निर्माण की सम्रेग्वण हुआ है।
उस भीर भाग का निर्माण कराने हेतु स्वन्ताव ह्वनिमद

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर।

विषय-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत विफली — गुजराडा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

हम समस्त ग्रामवासी इस बात से सहमत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत दिऊली – गुजराड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 जोकि राज्य मार्ग सं0-77 (नरेन्द्रनगर – रानीपोखरी मोटर मार्ग के कि0मी0 8 से ) जुड़जा है, को जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा जों सर्वे कार्य किया गया है, उस पर मार्ग बनाने के लिये हमारी ग्राम सभा पूर्ण रूप से सहमत है तथा मार्ग को बनाने के लिये अनुरोध करती है। यदि मार्ग निर्माण हेतु हमारी निजी कृषि भूमि की आवश्यकता विभाग को पड़ती है तो हम अपनी भूमि राजकीय दरों पर विभाग को देने के लिये तैयार है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग का निर्माण जन हित मे यथा शीघ्र किया

जाय।

दयाल सिंहे रावत चवरक जिला प्रभागत 43. मैलंग (नरेन्द्र नगर) जिला–१८७१। गववास

क्षेत्र पंकित्य सदस्य व्यक्तिम्बा वि० ख०-नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल